

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 200-21035/जोन-जयपुर/2024/ 336

दिनांक- 13/5/24

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कर्मचारियों को विदेश यात्रा (नेपाल) जाने हेतु दिनांक 13.05.2024 से 16.05.2024 तक (04 दिवस) की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान कि जाती है -

क्र.स.	नाम कर्मचारी एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान
1.	चेतन कुमार सैनी, नर्सिंग ऑफिसर	प्रा.स्वा.केन्द्र गढीमामोड़, थानागाजी ,अलवर

- कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत प्रस्थान करेगा तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
- विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- कार्मिक विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा /गुप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 200-21035/जोन-जयपुर/2024/ 336

दिनांक- 13/5/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित समस्त प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
7112840



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation: Director
Date: 2024.05.13 17:05:51 IST
Reason: Approved